भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2906
गुरुवार, 8 अगस्त, 2024 / 17 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग विद्यालय

2906. श्री केसिनेनी शिवनाथः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा कितने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग विद्यालयों को लाइसेंस दिया गया है;
(ख) देश में प्रमाणित एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इन प्रमाणपत्रों को डिग्री अथवा डिप्लोमा माना जाता है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) वर्तमान में, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर)-147 (मूल) के अंतर्गत अनुरक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 57 विमान अनुरक्षण इंजीनियरिंग (एएमई) प्रशिक्षण संस्थानों को मंजूरी दी है।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी विमान अनुरक्षण इंजीनियरों के लाइसेंस की कुल संख्या 16092 है। पिछले पांच वर्षों में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी लाइसेंस की संख्या (वर्षवार) निम्नानुसार है:

वर्ष	**जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या**
2019	350
2020	296
2021	228
2022	304
2023	256
2024 (01 अगस्त तक 2024)	211

(ग) और (घ): एएमई लाइसेंस एक पेशेवर लाइसेंस है और यह न तो डिग्री है और न ही डिप्लोमा है। किसी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) और संबंधित भारतीय विनियमों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एएमई लाइसेंस जारी किया जाता है, जो धारक को विमान और उसके इंजन पर अनुरक्षण करने और उसके बाद प्रचालन के लिए विमान को प्रमाणित करने की अनुमति देता है।
